न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 450—दो/2004 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—11—2003 के द्वारा न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 39/2002—03/निगरानी

....

नरेश रघुवंशी पुत्र रंधीर सिंह रघुवंशी
निवासी— ग्राम मढ़वा खिरिया परगना, अशोकनगर
जिला— गुना (म0प्र0)

.... आवेदक

विरूद्ध

1— प्रेमा पुत्र श्री पन्ना
निवासी— मढ़वा खिरिया तहसील— अशोकनगर
जिला— गुना (म0प्र0)

2— मध्य प्रदेश शासन

.... अनावेदकगण

....

श्री के0के0 दिवेदी अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक—1 पूर्व से एक पक्षीय है
श्री ए0 के0 श्रीवास्तव, शास0 अभि0, अना0 क्र0 2

....

आदेश

(आज दिनांक 8.11.16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—11—2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम मढ़वा खिरिया के सर्वे क्रमांक 134 रकबा 2.121 हैक्टर में से रकबा 1 हैक्टर भूमि पर 10—12 साल से कब्जा के आधार पर विवादित भूमि को व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार अशोकनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा विज्ञप्ति आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की है।

किसी की कोई आपत्ति ना आने से आवेदक व अन्य के कथन आदि लेकर विवादित भूमि में से 1.00 हैक्टर का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 14.06.95 को पारित किया। नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0। प्रेमा पुत्र मुन्ना के द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि विवादित भूमि पर उसके पिता के समय यानि जमादारी काल से आज तक कब्जा चला आ रहा है। आवेदक का कब्जा नहीं रहा है। गलत जानकारी के आधार पर नायब तहसीलदार से व्यवस्थापन करा लिया। निरस्त किया जाए । अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषक के तर्क श्रवण करने के उपरांत नायब तहसीलदार का आलोच्य आदेश अनियमित व गैर कानूनी होने से दिनांक 27.03.2000 को निरस्त किया गया। इसी के विरूद्ध निगरानी न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के में प्रस्तुत की गई। जहाँ प्रकरण क्रमांक 39/2002–03/निगरानी पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 29.11.2003 द्वारा निगरानी अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2000 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.03 प्रकरण के तथ्यों एवं विधि की उचित न्यायिक विवेचना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक क्र0 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया, जबकि अपील अवधि बाह्य थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया संबंधित त्रुटि मानकर आवेदक के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 14.06.95 को निरस्त किया गया है जबकि प्रक्रिया संबंधित त्रुटि को अतिरिक्त जांच कर दूर किया जा सकता था तथा इस हेतु अधीनस्थ न्यायालयों को प्रकरण विधिवत तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करना चाहिये था। अनावेदक क्र0 1 को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही अनावेदक क्र0 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की अनुमति प्राप्त की गई । अतः ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2000 एवं 29.11.2003 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक क्र0 1 को रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजी गई, परन्तु कोई नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अनावेदक क्र0 2 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हुये। उन्होंने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का एवं निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा 10–12 वर्ष का बताया है, जबकि पटवारी रिपोर्ट (पृष्ठ 19) में कब्जा 8–10 वर्ष का बताया है । प्रकरण में संलग्न खसरा पांच साला (पृष्ठ 10) में कब्जा वर्ष 1993–94, 1994–95 का है। आवेदक ने नायब तहसीलदार न्यायालय में आवेदन पत्र दिनांक 31.03.95 को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि कदीम दर्ज है तथा आवेदक का कब्जा न तो 10–12 वर्ष है और न ही 8–10 वर्ष से है। गलत जानकारी के आधार पर व्यवस्थापन नायब तहसीलदार ने किया है । प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में अभिलेख से यह बात सामने आती है कि प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ है, जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उस पर न तो प्रकरण क्रमांक है और न ही कोई तिथि अंकित है। किस दिनांक को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया है, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। विज्ञप्ति पर न्यायालय की मुद्रा नहीं है। मात्र आवेदक एवं उसके साक्ष्य के कथन अंकित किये जाकर पटवारी रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्थापन आदेश पारित किया है। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की पात्रता के संबंध में कोई जांच नहीं की और न ही भूमिहीन की । इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा बगैर विधि का पालन किये बिना सम्पूर्ण कार्यवाही संपादित कर जो व्यवस्थापन आदेश आवेदक के हित में किया है पूर्णतः विधि के विपरीत है। अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर ने नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। आयुक्त ग्वालियर ने अपने द्वारा पारित विस्तृत आदेश में अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने का जो निर्णय लिया है, वह उचित है । मैं आयुक्त के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि के अनुकूल न होने से अपास्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2000 एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2003 तर्कसंगत एवं विधिअनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर